nt>

**14.40 hrs.**

## DISCUSSION UNDER RULE 193

Internal Security in the Country -- Contd.

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) :** उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई और कल का दिन ऐसा था जब इस सदन पर आतंक वादियों ने तीन साल पहले हमला किया था। इस सदन की और इस सदन में काम करने वाले लोक प्रतिनिधि और अधिकारियों की रक्षा करते हुए इस सदन के कुछ भाइयों ने अपनी जानें गंवायीं। मैं उनकी स्मृति में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। इसी प्रकार देश के अलग-अलग हिस्सों में जो हादसे हुए हैं, उसमें लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हुए बहुत सारे सैनिकों ने, अर्द्ध सैनिक दल के लोगों ने और प्रांत के पुलिस कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। उनकी स्मृति को भी हम अभिवादन करना चाहते हैं।

यह बहुत अच्छी बात है कि इस सदन ने आंतरिक सुरक्षा पर बहस की। जिन भाइयों ने यह बहस शुरू की और इसमें हिस्सा लिया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यह बहस ऐसी रही जिसमें अपने विचार बड़ी स्पटता से मगर किसी के खिलाफ, किस पक्ष के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कहे गये। मेरी दृटि में यहां जो चर्चा हुई, उसका स्तर बहुत ऊंचा था। इसके लिए मैं अपने भाइयों के प्रति, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है, आदर की भावना व्यक्त करना चाहूंगा। कुछ भाइयों को बहुत कम वक्त मिला। अगर उनको ज्यादा वक्त मिलता तो शायद वे ज्यादा बोल लेते लेकिन जो थोड़ा बहुत वक्त उन्हें मिला, उस वक्त में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनको हमें ध्यान में जरूर रखना होगा। उन्हें हम जरूर ध्यान में रखेंगे और आंतरिक सुरक्षा के संबंध में जो नीति बनायी जायेगी, वह इन बातों को ध्यान में रखकर बनायी जायेगी।

यहां कुछ भाइयों ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ ने कहा कि यह सुधरी हुई है और कुछ ने कहा कि यह बिगड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि ये तीनों विधान गलत नहीं माने जायेंगे। पहला विधान यह था कि स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके खिलाफ हम झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आज परिस्थिति अच्छी होती तो हम सब लोगों का समाधान हो जाता। कुछ भाइयों ने कहा कि बिगड़ी हुई है--हां, कुछ प्रांतों में यह जरूर बिगड़ी हुई है और कुछ भाइयों ने कहा कि यह सुधरी हुई है--हां, कुछ प्रांतों में यह जरूर सुधरी हुई है। ये तीनों विधान न तो पूरी तरह से गलत हैं और न पूरी तरह से सही हैं। â€¦ (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, आप ही की पार्टी के हैं और आप ही बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री शिवराज वि. पाटील :** इस परिस्थिति के जो आंकड़ें हैं, उन्हें मैं बड़े संक्षेप में देना चाहूगा। â€¦ (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बोलना बंद किया है तो अब आप बोलना न शुरू कर दें।

...(व्यवधान)

**श्री शिवराज वि. पाटील :** हमने प्रयास किया है कि इन आंकड़ों को चार्ट के रूप में माननीय सदस्यों को दें। अब पूरे आंकड़े देना मुश्किल है इसलिए हमने लिखित रूप में माननीय सदस्यों को कुछ आंकड़े भेजे हैं। वे उसे देखेंगे, मगर कुछ आंकड़े मैं यहां पर जरूर देना चाहूंगा।

जिसकी वजह से जो परिस्थिति है, उसकी स्पटता हमारे सामने आ जाएगी। जम्मू और कश्मीर की क्या हालत है ? हमने कहा कि वहां की हालत सुधरी हुई है और हमारा जो विधान है, उसकी मजबूती के लिए हमने आंकड़े दिये थे। आज भी मैं थोड़े से आंकड़े उस समबंध में देना चाहता हूं। वहां जो घुसपैठ हो रही थी, वह 60 प्रतिशत से कम हुई है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वह 60 प्रतिशत से कम हुई है। वहां पर जो घटनाएं हो रही थीं, वह 24 प्रतिशत से कम हुई हैं और वहां पर जो लोग मारे गये हैं, उनकी संख्या 12 प्रतिशत से कम हुई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर की जो परिस्थिति है, वह सुधरी हुई है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इसके सुधरने का क्या कारण है। उसका जवाब यह है कि वहां पर जो फेंस खड़ी हुई हैं, उसकी वजह से घुसपैठियों की संख्या कम हुई है। हमारे सैनिक, अर्धसैनिक और प्रांत की जो पुलिस है, उन्होंने जो काम किया है, उसकी वजह से भी इन घटनाओं की संख्या में कमी हुई है और घटनाओं की संख्या और मृत्यु की संख्या जो घटी है, वह उनकी वजह से हुई है।

इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि घटनाओं की संख्या कम हुई है। मुत्यु की संख्या कम हुई है लेकिन इसके बाद भी आतंकवादी दूसरे तरीके से वहां पर आतंकवाद खड़ा कर रहे हैं। एक तरीका ग्रेनेड फेंकने का है। हथियार बंदूक नहीं है लेकिन ग्रेनेड, माइन्स रॉकेट्स वगैरह हैं । हमले राजनीतिज्ञों और पुलिस पर ज्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। यह वस्तुस्थिति मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उत्तर पूर्व के प्रांतों में परिस्थिति क्या है ? उत्तर पूर्व के प्रांतों में परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, ऐसा लिखा गया और बोला गया है और उसके लिए कुछ लोगों को दोा दिया गया है। यहां तक कि गालियां दी गई हैं । मगर बड़ी नम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर परिस्थिति सुधरी हुई है । किस प्रकार से सुधरी हुई है, आंकड़ों के आधार पर हम जान सकते हैं । वहां की घटनाओं की संख्या में 22 प्रतिशत कमी हुई है। वहां के सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की संख्या 7 प्रतिशत से कम हुई है । और आम आदमियों पर हमला होने की वजह से जो मृत्यु होती थी, उसकी संख्या 26 प्रतिशत से कम हुई है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां की परिस्थिति सुधरी हुई है। इसका मतलब पूरी तरह से परिस्थिति काबू में है, पूरी तरह से बेहतर है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि परिस्थिति सुधरी हुई है।

मणिपुर की चर्चा बहुत हुई और कल भी यहां पर एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मणिपुर जल रहा है। इन दिनों में मणिपुर जला नहीं है। तीन साल पहले जला था मगर मैं उस प्रकार की चर्चा में नहीं जाना चाहता। वहां उस प्रकार की परिस्थिति हो गई। इसलिए मैं किसी को दोा नहीं लगाना चाहता। इस प्रकार की घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। मैं उसका दोा किसी एक आदमी को या किसी एक सरकार पर नहीं लगाना चाहता। वह परिस्थिति कहीं भी हो सकती है। मगर मणिपुर की परिस्थिति जो हुई है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मणिपुर में जो घटना हुई, उसके बारे में कुछ भाइयों में, अपने लोगों के मन में गुस्सा आया है और उन्होंने उस गुस्से का प्रदर्शन रास्ते पर आकर किया और उन्होंने वहां पर अपने क्षोभ का प्रदर्शन किया।

मगर इसके खिलाफ सरकार ने क्या किया। सरकार ने उन लोगों के खिलाफ गोलियां नहीं चलाईं। सरकार ने उन्हें जेल में नहीं रखा। सरकार ने वहां की प्रदेश सरकार को नहीं हटाया और सरकार ने वहां राट्रपति शासन नहीं लगाया। मगर वहां के भाइयों में गुस्सा था, उनसे बातचीत की । जिन्हें यह कहा गया कि गुनाह हुआ है। उन्हें बताया गया कि उसका दंड मिलेगा और कोर्ट से मिलेगा, लेकिन वह जरूर मिलेगा। ऐसा भी कहा गया कि वहां का कांगला फोर्ट को खोला जायेगा और खोला गया । कुछ लोग कह रहे थे कि स्पेशनल आर्म्ड फोर्स एक्ट में जो प्रोविजन रखे गए हैं, वे ड्रैकोनियन प्रोविजन हैं, शैतानी प्रोविजन हैं। उसे देखने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। इन सब बातों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां की हालत में अच्छी तरह से सुधार हुआ है।

यहां कई सदस्यों द्वारा कहा गया कि वह जल रहा है। उसके लिए कुछ लोगों को गालियां दी गईं और कुछ लोगों की क्षमता पर अपने विचार भी प्रकट किए गए। मैं समझता हूं अगर इस प्रकार का काम कहीं होता है, तो उससे आतंकवाद को काबू में रखने में मदद नहीं मिलता । वह तो आग में पेट्रोल डालने जैसा होता है। अगर गलत बात का फैलाव हो जाए, तो उससे डर पैदा होता है। डर पैदा करने के लिए हथियार लाए जाते हैं, किसी निरपराध व्यक्ति पर गोलियां चलाई जाती हैं । डर पैदा करने के लिए अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं। ऐसे भााण भी दिए जा सकते हैं कि दूसरे लोगों के मन में डर की भावना पैदा हो।

एक जमाना था जब कोई घटना होती थी, तो लोगों के मन में डर नहीं रहता था। लेकिन आज का जमाना है कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो पांच मिनट के अंदर हम घर में बैठकर उसे देख सकते हैं। उससे डर पैदा हो जाता है । लगता है यह तो मेरे पड़ोस में हो रहा है, मणिपुर में नहीं हो रहा है। इसलिए यह जो टैरर और डर की भावना है, मैं यह नहीं कहता कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए या न्यूजपेपर्स या टी.वी. पर नहीं दिखाना चाहिए, सदन में नहीं बोलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि डर की भावना ऐसे फैलती है। और जब हम कोई गलत बात करते हैं तो डर की भावना और जोर से फैलती नजर आती है।

आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज से हमारे सदन की कार्यवाही का लाइव टैलीकास्ट हो रहा है। हम लोग सदन में क्या करते हैं, यह बात लोगों के घरों तक, दरवाजों तक पहुंचेगी। हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वे लोग इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वे अनुमान लगा सकते हैं कि अपनी नीतियों पर सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। किस प्रकार की नीतियां सरकार बना रही है। किस प्रकार का कानून सरकार बना रही है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कह रहा था कि यह तो पूरे देश के लिए यूनिवर्सिटी बनाने जैसा हो गया । राजकीय यूनिवर्सिटी जो है, उसके कानून हैं, हमारी संसद क्या कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं और विरोध पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, यह सब कुछ आज से जनता देखेगी। इसलिए इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। मैं इसके लिए अध्यक्ष महोदय के प्रति, आपके प्रति और राज्य सभा के चेयरमैन साहब के प्रति आदर की भावना व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह मालूमात लोगों में पहुंचना चाहिए। अगर यह नहीं जाएगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहां क्या कर रहे हैं।

मणिपुर के बारे में कुछ बातें कही गई थीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर की स्थिति सामान्य बनती जा रही है। वहां पर दो दुर्घटनाएं हुई थीं। दो लोगों की मृत्यु उनमें हुई थी। उससे ज्यादा जानें तो अन्य किसी प्रांत में चली जाती हैं। किसी राज्य में 20 तो किसी राज्य में 25 लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। मैं किसी दूसरे प्रांत की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं कोई तुलना भी नहीं कर रहा हूं। मणिपुर हमारा सरहदी राज्य है। वहां के लोग कला प्रेमी हैं, संवेदनशील हैं, देश के प्रति प्र ोम रखने वाले हैं और शांति भी चाहते हैं। वहां जो परिस्थिति पैदा हुई थी, उसको अगर हम गलत रीति से नहीं लेते तो अच्छा होता, ऐसा मुझे लगता है।

अब नक्सलवादी प्रांतों में क्या हो रहा है यह देखें । उस सदन में और इस सदन में भी यह कहा गया है कि नक्सलवादी गतिविधियां कुछ जिलों में बढ़ीं हैं। हां, उन जिलों की संख्या बढ़ी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये गतिविधियां इन पांच महीनों में ही बढ़ी नहीं हैं। सन् 2002 जितनी थीं, उनसे बढ़कर सन् 2003 में हो गयीं और सन् 2003 में जितनी थीं उनसे बढ़कर आज हो गयीं हैं । ये घटनाएं 135 से बढ़कर 140 और 140 से बढ़कर 155 तक गयी हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन घटनाएं बढ़ी हैं और इसे हमें ध्यान में रखना होगहै । इसे हम भूला नहीं सकते हैं। नक्सलवादी गतिविधियों की संख्या बढ़ी हैं, लेकिन यहां पर जो हादसे हुए हैं उनमें मृतकों की संख्या कम हुई है और हादसों की संख्या बढ़ी है। नक्सलवाद का बढ़कर अब आंध्र प्रदेश, महाराट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूपी में विस्तार हुआ है। इसका हम विशलेक्षण करें तो पता चलता है कि ये गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये गतिविधियां न बढ़ें, इसके लिए हमें कदम उठाना जरुरी है। प्रांतों की सरकारों को सहायता देकर कदम उठाना जरुरी हैं । लेकिन केन्द्र भी अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालकर चुप नहीं रह सकता है। हम क्या करने जा रहे हैं वह मैं बाद में बताऊंगा। जैसे मणिपुर की चर्चा हुई, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की भी चर्चा हुई। नक्सलवादी प्रांतों के बारे में जब कहा गया तो आंध्र प्रदेश की भी चर्चा हुई। कहा गया कि जब नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं तब आप नक्सलवादियों से क्यों बातचीत कर रहे हैं। यह पूछा गया यह करने से क्या आपका काम हल्का हो जाएगा या भारी हो जाएगा। यह भी कहा गया कि ऐसा करने से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस बारे में बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टेटेटिक्स हैं। अगर आप नक्सलवाद प्रभावित चार प्रांतों को छोड़ दें, छत्तीसगढ, झारखंड, बिहार और महाराट्र को छोड़ दें तो घटनाएं और मृतकों की संख्या भी दूसरे प्रांतों में कम हुई नजर आती है। आंध्र प्रदेश में बहुत कम हुई नजर आती है । मृतकों की संख्या जो 72 तक गयी थी वह अब केवल 2 पर आई हुई नजर आती है। घटनाओं की संख्या भी जो 52 पर थी वह घटकर कम हुई नजर आती है। आंध्र प्रदेश में बातचीत का सिलसिला जो उन्होंने चलाया है, उसका परिणाम यह हुआ है कि यह संख्या 72 से घटकर 2 तक आ गयी है। हम बातचीत से मसले को हल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बातचीत पर भी एतराज यहां पर जताया है। किसी ने यहां पर यह आरोप भी लगाया कि आप उनको भाई क्यों मान रहे हैं। जो लोग रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको आप भाई क्यों मान रहे हैं? हमने इसका उत्तर भी दिया है और मैं फिर बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जिसको रोटी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, घर नहीं है, घरवालों के लिए सहारा नहीं है, जो सहारा उसे चाहिए वह उसे मिलता नहीं है तो ऐसा आदमी गुस्से में आकर हथियार लेकर चला आया हो, उसे दुश्मन मानकर गोली चलाना तो अच्छी बात नहीं है।

ऐसे लोगों को वहां जिस प्रकार से मजबूरी ने पहुंचाया है, उन भाइयों के खिलाफ दुश्मनों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहते हैं । हम उन भाइयों को समझाना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह सही रास्ता नहीं है। जिन-जिन लोगों ने हथियार हाथ में लिए हैं, मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हथियारों की मदद से, खून-खराबे की सहायता से कुछ नहीं मिल सकेगा।

## 15.00 hrs.

**(Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)**

यदि कुछ हासिल हुआ तो वह बहुत कम होगा और उसका कोई अर्थ नहीं होगा । लेकिन चर्चा के रास्ते से या दूसरे किसी, रास्ते से, या सदन के माध्यम से, जो भी काम करेंगे उसमें बहुत कुछ पा सकेंगे। दिल्ली की सरकार और प्रान्तों की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि हथियार या डर की वजह से बातचीत करे। हम डर की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। हम अपनेपन की वजह से बात कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिस की वजह से हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा शुरु की â€¦ (व्यवधान)

**श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी)** : इस बारे में यूनियन गवर्नमैंट बातचीत नहीं करती है। इसे स्टेट्स के ऊपर छोड़ देती है।

**श्री शिवराज वि पाटील**: आपको मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। नागालैंड, मिजोराम और पंजाब में किस ने बातचीत की?

**श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : मैं नक्सलवाद की समस्या की बात कर रहा हूं। â€¦ (व्यवधान)

**श्री शिवराज वि पाटील**:आप मेरी बात थोड़ी शांति से सुनिए। मैं आपके प्रश्नों का अंत में जवाब दे दूंगा। आप उन्हें लिख कर रख लें। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, आप उसमें व्यवधान न डालें। बातचीत का जो मार्ग और दिशा है, वह गलत नहीं है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि मिजोराम में राजीव गांधी जी के जमाने में बातचीत हुई। वहां उस समय कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री ललथनवाला थे। उनको अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया था। उसके बाद श्री लालडेंगा वहां के मुख्यमंत्री बने। वहां चुना व हुए और लालडेंगा जी की पार्टी हार गई। आज मिजोराम में पूरी शांति है। यहां श्री अर्जुन सिंह जी बैठे हैं जो एक वरिठ मंत्री हैं। उन्होंने पंजाब में बातचीत शुरू की थी । पंजाब के अन्दर हथियारों का उपयोग किया गया या नहीं किया गया?अर्द्ध सैनिक बलों ने वहां बड़ी बहादुरी से काम किया लेकिन हमने बातचीत की। श्री राजीव

गांधी जी के प्रोत्साहन से राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ। अर्जुन सिंह जी और राजीव जी ने मिल कर वहां शांति स्थापित की। आज पंजाब में स्थिति सुधरी हुई नजर आ रही है। बातचीत का रास्ता गलत रास्ता नहीं है, कमजोरी का रास्ता नहीं है। सरकार हथियार उठाने का काम कभी भी कर सकती है। उसके बाद शक्ति का कोई आधार नहीं है लेकिन हमारे ख्याल में हथियार द्वारा लोगों पर गोली चला कर और खून बहा कर काम करना ठीक नहीं है। हमारा विचार है कि बातचीत की शक्ति हथियार की शक्ति से ज्यादा है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि नागालैंड में भी बातचीत की गई। इस कारण वहां सात साल से शांति है। वहां एक दिन से नहीं, सात साल से शांति है। जिन्होंने पहले बातचीत की. वे अभी फिर बातचीत करने के लिए यहां आए हैं जिस का हम स्वागत करते हैं। हमें यह बात अच्छी लगती है। देखते हैं कि क्या अमल में आता है । लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि वहां शांति रहे। बातचीत का रास्ता पराया रास्ता नहीं है, वह लोकतंत्र का रास्ता है। हम किसी को भाई समझते हैं, किसी को घर वाला समझते हैं लेकिन आप यहां उठ कर पूछते हैं कि उन्हें कैसे भाई समझते हैं? We are the chips off the same block. कौन कहता है कि हम एक दूसरे के भाई नहीं हैं। अंत में हम एक दूसरे के भाई हैं। अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे सही रास्ते में लाने का प्रयास, उनके घर वालों को करना पड़ेगा, उनके पड़ोसियों को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा। समाज की उन्नति और शांति के लिए उनको सही रास्ते पर लाकर काम करना पड़ेगा। इसमें क्या गलती है? हमारे अध्यक्ष जी ने सदन में कहा कि हम बातचीत का रास्ता अख्तियार करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने लालकिले से कहा कि हम बातचीत का रास्ता अख्तियार करेंगे। मैंने राज्य सभा में कहा था कि बातचीत का रास्ता हमारे लिए पराया नहीं है। हम उसे अपनाएंगे ।

बातचीत का रास्ता अपनाने का मतलब कोई कमजोरी का लक्षण नहीं है। बातचीत का रास्ता अपनाने का तलब एक समझदारी का रास्ता अपनाना है। हम अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहते हैं। हथियार उठाने का काम जो हमारे भाई कर रहे हैं, और बलिदान कर रहे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए हमारे नेताओं ने जो बलिदान दिये हैं, वे सबको मालूम है। देश के स्वंतत्र होने के बाद अगर सारी लड़ाइयों का हिसाब लगायें तो अब तक छः लड़ाइयां हुई हैं और उनमें से पांच लड़ाइयां हमने जीती हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे नेताओं ने जो बलिदान दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इंदिरा जी का बलिदान, श्री राजीव गांधी जी का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। वह बलिदान देश की एकता के लिए था, दूसरे किसी कारण के लिए नहीं था। मगर श्री राजीव जी ही ऐसे नेता थे, जिन्होंने बातचीत करके नागालैंड की परिस्थिति सुधारने की कोशिश की, मिजोरम की परिस्थिति सुधारने की कोशिश की और पंजाब की स्थिति सुधारने की कोशिश की। इसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमने जो बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है, जो रास्ता हमने अपनाया है, वह ठीक है।

सभापति महोदय, यहां पर अभी माननीय सदस्य खड़े होकर बोले, हालांकि वह बहुत कम देर के लिए बोले, परंतु उन्होंने बहुत अच्छा भाषण किया। उन्होंने कहा "कि बातचीत करनी है तो जरूर कीजिए, मगर बातचीत एहतियात से करो, सावधान रहकर करो। ऐसा न हो कि आप बातचीत में रहें और कोई आपको और देश को धोखा देकर चला जाए।" मैंने उनके कहे हर शब्द को बड़े ध्यान से सुना और हम वही करेंगे। हम अपनेपन से बातचीत करेंगे। जैसे अपने भाई के साथ बातचीत कर रहे हैं, वैसे बातचीत करेंगे। मगर उसके साथ-साथ हम सावधानी को भी नहीं छोड़ेंगे। We will not lower our guard. हमारा गार्ड कभी भी लोअर नहीं किया जायेगा We will not lower our guard. We will keep this vigil all the time. इसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने यह बात बहुत अच्छे तरीके से कही । तथा अपने अर्थपूर्ण भाषण में जो कुछ कहा, यहां चर्चा करने का मतलब वही है। यहां जो चर्चा हुई है, मैं उसका अर्थ यह निकालता हूं कि यहां एक-दो सदस्यों को छोड़कर, अन्य किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। सारे सदस्यों ने कहा कि बातचीत का रास्ता गलत नहीं है, इसे अख्तियार कीजिए, लेकिन बातचीत संभल कर और सोच-समझकर कीजिए। बातचीत करते समय इस देश की रक्षा का जो आपका दायित्व है, उसमें कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिये। यह बात माननीय सदस्यों ने सदन में कही है और हम इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे। इस बात को हम ध्यान में रखकर हमेशा आगे चलते जायेंगे।

सभापति महोदय, हमें बड़ी खुशी है कि जिन्होंने इस चर्चा की शुरूआत की, उन्होंने इस चर्चा की मर्यादा को बहुत सीमित नहीं रखा। उन्होंने उसे सही परिप्रेक्ष्य में इस सदन के सामने रखा । उन्होंने कहा कि आतंकवाद से अगर हमें लड़ना है, केवल बंदूक से और हथियारों से नहीं हमें लड़ना है । हमें दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और वे दूसरी चीजे हैं - आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता। मुझे बड़ी खुशी है कि चर्चा सही दिशा में शुरू हुई और सही दिशा में गई। मैं उन माननीय सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूंगा, आज वे यहां उपस्थित नहीं है, शायद किसी मीटिंग में चले गये हैं। फिर भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस चर्चा को एक सही दिशा दी और उसी दिशा में सारे लोगों ने यहां बातचीत की। हम सदन के सामने आ रहे हैं । और सदन का मत क्या है, हम जानना चाहते हैं। सदन का मत यह रहा कि बातचीत करो। सदन का मत यह रहा कि इस प्रश्न को केवल हथियारों के आधार पर छुड़ाने की कोशिश मत करो। बल्कि आर्थिक उन्नति करो, आर्थिक न्याय करो, सामाजिक उन्नति करो, सामाजिक न्याय करो। इसके साथ ही जो हमारी भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्कृतियां है, उसे ध्यान में रखकर कां करो । उसके बाद अपनी फौज और पुलिस को ताकत दें। हम इस बात को भी नहीं भूलेंगे। मैं समझता हूं कि यह मैनडेट है, जो आपने हमें दिया है और इस मैनडेट को हम ध्यान में रखेंगे।

आर्थिक विकास पर भी आपने सही बात की । और इस बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से ज्यादा बोलने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की ओर से आर्थिक क्षेत्र में क्या काम किया जा रहा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में पूरी सरकार की तरफ से क्या काम किया जा रहा है।

मैं बहुत संक्षेप में यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रांतों की सरकार की ओर से आर्थिक क्षेत्रों में किस प्रकार का काम किया जा रहा है ताकि पता चले कि यह जो बात हमारे सदस्यों ने बताई है उसको हम नज़रअंदाज़ नहीं कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं।

यहां पर बेरोज़गारी का सवाल भी बहुत से माननीय सदस्यों ने उठाया और कहा कि रोज़गार नहीं मिलने के कारण नौजवान आतंकवादी बनते हैं। यह बात सही है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ आतंकवादी आइडियोलॉजिस्ट हैं, कुछ आतंकवादी एनार्किस्ट हैं और कुछ आतंकवादी ऑपॉर्चुनिस्ट हैं। जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, उनको बदलना मुश्किल है, मगर जिनको काम नहीं मिल रहा है और उस कारण वे आतंकवादी बन रहे हैं, उनको तो काम दिया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। जो पैसे के लिए आतंकवादी बन रहे हैं, उनके लिए कुछ दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है। मगर इन लोगों को काम देने के लिए मैं संक्षेप में कहूँगा कि हमने प्रांतों की सरकारों को बताया है कि वह अपने स्टेट्स में कुछ इंडिया रिज़र्व बटालियन खड़ी करें। हर प्रांत को हमने दो-तीन बटालियन खड़ी करने के लिए कहा है और कुछ राज्यों को तो हमने कहा है कि 10-15 बटालियन तक खड़ी कर सकते हैं। एक बटालियन खड़ी करने पर 1000 लोगों को काम दिया जा सकता है और 10 बटालियन खड़ी करने पर 10000 लोगों को काम दिया जा सकता है। हमने कहा है कि ऐसी बटालियन खड़ी करो और जो लोग हथियार लेकर आतंकवादी बन रहे हैं, उनको पुलिस में आने दो, स्टेट पुलिस में आने दो और उनको काम दो। उसके बार हर प्रांत में जो आतंकवाद प्रभावित जिले हैं, उन जिलों के विकास के लिए वहां का इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए हम होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक साल में एक जिले के लिए 15 करोड़ रुपये दे रहे हैं और ये तीन साल तक देने का वायदा हमने किया है। 45 करोड़ रुपये एक जिले को हम दे रहे हैं और उनको हमने वायदा किया है। उसके बाद हमारी तरफ से जम्मू-कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। वहां पर बिजली बनाने के लिए प्रोजैक्ट्स लगाए गए हैं और होम मिनिस्ट्री के द्वारा और डिफैन्स मिनिस्ट्री के द्वारा जहां पर बॉर्डर एरिया है, वहां पर मिनी पावर प्लांट्स बनाने के लिए भी हमने पैसा दिया है। हमारी तरफ से अगर 10-20 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं तो डिफैन्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी उतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है और मिनी पावर प्लांट्स बनाये जा रहे हैं। बड़े पावर प्लांट्स तो बनाये ही जा रहे हैं जिनमें 1500 मैगावाट तक बिजली का उत्पादन हो सकता है। रेलवे बनाई जा रही है। इसके साथ-साथ नेशनल हाइवेज़ को चौड़ा करने के लिए भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं। इन सब कार्यों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, काम दे रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, हाईवेज़ बना रहे हैं। उसके बाद मिनी हाइडल पावर प्लांट्स बना रहे हैं। टूरिज़्म के लिए पैसा दे रहे हैं, दूसरे कारखाने बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, फॉरैस्ट डैवलपमैंट के लिए पैसा दे रहे हैं और इस प्रकार से आर्थिक उन्नति का काम कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने 14 तारीख को आंध्र प्रदेश में जाकर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया है। काम के बदले अनाज स्कीम लोगों को मदद करने का ही एक तरीका है। कुछ दिनों में हम आपके सामने एक कानून

बनाएंगे जो बताएगा कि किस प्रकार से लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। रोज़गार देने का कानून हम लाएंगे । महाराट्र में इस प्रकार की एक स्कीम बनी थी। उसके बाद कानून बना था। यहां भी हमने जवाहर रोज़गार योजना बनाई, उसको चलाया और उसी के आधार पर हम एक नया कानून बनाने जा रहे हैं और इस प्रकार से देने जा रहे हैं काम। नक्सलवाद और आतंकवाद कहां है? यह झाड़ी और पहाड़ी के इलाकों में है । जहां पर जंगल हैं, जहां पर पहाड़ हैं, जहां पर बेरोज़गारी है, जहां पर बीमारी है, जहां पर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है । और लोग टीवी पर देख रहे हैं कि दूसरे लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनको कैसे जीना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहां के हालात सुधारने के लिए हमारी ओर से प्लानिंग कमीशन को यह बताया गया है कि जिन हिस्सों में नक्सलवाद है या आतंकवाद है, उन प्रांतों के लिए आप जितना ज्यादा पैसा दे सकते हैं, दें, ताकि उन् पैसों को उन जिलों में खर्च करके वहां की आर्थिक उन्नति हो सके।

महोदय, प्रान्तों का काम है सड़कें बनाना, बिजली पैदा करना, उसका वितरण करना, स्कूल खोलना, दवाखाने खोलना, खेती के काम में मदद करना, व्यापार के अ वसर पैदा करना। इसके लिए भी हमारी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। मैं समझता हूं कि उनका यह जो दृटिकोण है वह ठीक नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक कठिनाइयों के कारण अगर हमारे बच्चे गुस्से में आकर कहीं जा रहे हैं, तो हम उन्हें जाने दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम आर्थिक नीति ऐसी बनाएं जिससे आर्थिक विकास तेज गति से हो, यह एक मार्ग है।

महोदय, सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय की बात यहां कही गई। इसका भी मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमारा दृटिकोण भी बिलकुल ऐसा ही है। जिन माननीय सदस्य ने चर्चा शुरू की, उन्होंने सामाजिक न्याय देने की बात कही। हमें उनकी यह बात अच्छी लगी। उन्होंने बहुत सही बात कही। हमारे जो नेता थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। यही बात हमारे संविधान में भी है। "इक्वैलिटी" और "सोश्यल जस्टिस" की बात हमारे संविधान के प्रीएम्बल में कही गई है। यही बात हमारे संविधान के

डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स में कही गई है। इसलिए हमने प्रिवेंशन आफ अनटचेबिलिटी एक्ट शुरू किया। हमने महिलाओं को सामाजिक न्याय देने के लिए ही एक हिन्दू कोड बिल लाया था और हिन्दू सक्सैशन एक्ट जैसा कानून बनाया।

महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारी नेता ने हमें कहा है कि हम एक ऐसा कानून बनाएं जो हमारे समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा करे न कि वैमनस्य। हमारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहे और इस आधार पर हमारे समाज में कोई खलल पैदा न कर पाए। हम आजकल उसी पर काम कर रहे हैं। हमने उसका एक ड्राफ्ट बनाया है। वह पेपर हमने ला मिनिस्ट्री को दिया है। ला मिनिस्ट्री से एप्रूव होने के बाद हम उसे इंटरनैट पर रखेंगे और देश के सारे लोगों की राय मांग कर एक नया ड्राफ्ट सदन में लाएंगे। उसे स्टैंडिंग कमेटी में रखेंगे, जिस पर आप चर्चा कर सकते हैं। हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो सदैव रहे। ऐसा न हो कि कोई कानून हम इस साल बना लें उसे अगले साल खत्म करना पड़े। हम सदैव सतत चलने वाला कानून बनाना चाहते हैं। हमारे देश में एवीडेंस एक्ट, क्रिमीनल प्रोसीजर कोड जैसे कानून हैं, जो सैकड़ों वार्ों से चल रहे हैं, वैसा कानून हम इस संबंध में भी बनाना चाहते हैं। उसमें सभी बिन्दुओं को स्पट किया जाएगा और सभी चीजों की परिभााा होगी। उसमें यह भी होगा कि साम्प्रदायिक सौहार्द क्या है, कम्युनल डिस्टरबेंस किसे कहेंगे, कौन इसकी इनवैस्टीगेशन करेंगे। इन वैस्टीगेशन करने के बाद किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि जिन्होंने गुनाह किया है, उन्हें क्या सजा मिलेगी, लेकिन जिसके खिलाफ किया है, उसे मुआवजा भी दिया जाएगा या नहीं । यह भी बताया जाएगा कि जो परिस्थिति निर्मित हुई, वह भवि‍य में न हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। यह सब काम हम आपकी मदद से करेंगे।

महोदय, देश में पहले से कानून हैं, इसलिए हम नए कानून नहीं बनाएं, यह चर्चा भी यहां पर हुई। उस पर थोड़ा दुख हुआ। यहां कहा गया कि बांग्लादेश से कितने लोग आ रहे हैं। किसी ने कहा कि मदरसों में क्या हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये चिन्ता के वि‍य नहीं हैं। ये चिन्ता के वि‍य हैं, ये प्रश्न हैं, इन पर सोचना पड़ेगा, मगर इनके ऊपर जोर देना और दूसरी किसी बात को टच नहीं करना, ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके मन में, इस प्रश्न को लेकर, अपना एक दृटिकोण है और उसके सिवाय आप और कुछ न देखते हैं, न सुनते हैं। किसी माननीय सदस्य ने ऐसे व्यवहार को देखकर यहां कहा कि उनका ऐसा नजरिया साम्प्रदायिकता का नजरिया है। वे इसे साम्प्रदायिक चश्मे से देखने का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो शायद अच्छा होता।

महोदय, स्पीकर साहब ने भी कहा कि बांग्लादेश से कितने लोग आए हैं और कितनों को हमने वापस किया है यह बताएं । अगर बांग्लादेश से लोग आए हैं, तो हम उन्हें जरूर वापस करेंगे।

हम उनमें फर्क करते हैं। जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो हाथ में हथियार लेकर यहां के लोगों की जान और माल का नुकसान पहुंचाने के लिए आने वाले हैं । उनमें और जिन्हें खाने को नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, यह समझकर आने वाले लोग हैं, उनकी तरफ देखें। इसका मतलब, वे आयें तो हम उनको रहने देंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब उनकी ओर देखने का हमारा दृटिकोण अलग रहेगा और उनको हम वापस भी कराएंगे । और करवाने के लिए ही कानून बनाया गया है। इसके लिए फॉरेनरस एक्ट बनाया गया है, आई.एम.डी.टी. कानून बनाया गया है, ट्रिब्यूनल्स बनाये गये हैं । और उसके द्वारा ही हम यह काम करेंगे, मैं इतना ही इस संदर्भ में कहना चाहता हूं।

अब सवाल पैदा होता है कि हम हमारी सेनाâ€¦ (व्यवधान)

**श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) :** गृह मंत्री जी, जो लोग रोजगार के लिए आये हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे, आप कह रहे हैं कि जो लोग रोजगार के लिए आएंगे?â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what the Minister is replying.

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

**श्री शिवराज वि. पाटील :** मुझे आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लिखकर रखिये, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको मेरा जवाब पसन्द आये, नहीं आये, वह अलग बात है। सबसे अहम बात जो है, जिसके ऊपर हमें यहां पर चर्चा करनी है, वह है हमारे सशस्त्र बलों की शक्ति की और संख्या की । यहां का आज का जो काम हो रहा है, वह कैसा हो रहा है। कुछ लोगों ने प्रयास किया कि हमारी जो भूमि है, उसके खिलाफ लड़ाई करके कुछ भूमि लेजा सकेंगे, लेकिन वह नहीं हो सका। जो लड़ाई से नहीं हो सका, वह आतंकवाद से नहीं होगा, मैं इस सदन में खड़ा होकर कहना चाहता हूं। लड़ाई कैसे की जाती है, यह मैंने देखा है और आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, वह भी आज मैं देख रहा हूं और मैं यहां खड़ा होकर कहूंगा कि जो बात लड़ाई से नहीं होगी, वह बात आतंकवाद से भी नहीं होगी। हम कहेंगे कि इस लो इंटेंसिटी वार से हमारी भूमि के ऊपर कोई आंच हम नहीं आने देंगे। इस काम में कौन मदद कर रहे हैं ? इस काम में हमारी सेना मदद कर रही है, बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही है। वे सैनिक जो काम करते हैं, जिनका नाम भी हमारे सामने और याद में नहीं रहता, मगर सरहद पर खड़े होकर अपनी छाती के ऊपर गोलियां झेलते हैं और अपने प्राणों का अर्पण करते हैं और बस इतिहास के अंधेरे में गायब हो जाते हैं, वे सैनिक कर रहे हैं। इसके बाद अर्धसैनिक बल यह काम कर रहे हैं, जो पुलिस फोर्स हमारी सैण्ट्रल गवर्नमेंट के पास है, वे कर रहे हैं। तीसरे, हमारे प्रान्त की पुलिस यह काम कर रही है।

किसी एक भाई ने कहा कि पुलिस रिफार्म्स के बारे में बहुत सारी कमेटियां और कमीशंस बिठाये गये हैं, उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ, बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, पुलिस कमीशंस और पुलिस कमेटियां यहां पर निर्मित हुई थीं और उन्होंने रिपोर्ट्स दी थीं। उनके कुछ सजेशंस हैं, उनके ऊपर हमारे पहले की सरकार ने, हम सब लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं । जिन पर अमल नहीं हुआ है उस बारे में नई कमेटी बनाने जा रहे हैं। सरकार ने यह तय किया है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें जो रिकमेण्डेशंस की गई थीं और जिन रिकमेण्डेशंस पर अमल नहीं किया गया, वे कौन सी रिकमेण्डेशंस हैं, उसे बताएं और उनमें से कितनी रिकमेण्डेशंस पर हम अमल कर सकते हैं, यह बताएं और उन पर तुरन्त हम अमल करना शुरू कर देंगे। जिन रिकमेण्डेशंस पर अमल नहीं कर सकते हैं, हम कहेंगे कि इन रिकमेण्डेशंस पर हम अमल नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो पुराना काम पुलिस रिफोर्म्स के लिए हुआ है, उसमें पुलिस का कानून बदलना हो या पुलिस की हायरार्की बदलनी हो, पुलिस का ट्रेनिंग सिस्टम बदलना हो, चाहे पुलिस का रिक्रूटमेंट बदलना हो, पुलिस की फैसिलिटीज के बारे में हो, पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में हो, ये सारी चीजें हम देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे।

उसके बाद हम एक और कमीशन बिठाएंगे, जो देखेगा कि आज के नये जमाने में किस प्रकार की पुलिस होनी चाहिए। आज के जमाने में पुलिस के सामने किस प्र ाकार की चुनौतियां हैं और उनका सामना वे कैसे करेंगे, देहात में उनको जाकर काम करना पड़ेगा, हमारी कैपीटल्स में जाकर, हमारी राजधानियों में जाकर काम करना पड़ेगा और दूसरे देशों में भी जाकर काम करना पड़ेगा, वे सारे काम किस प्रकास से करेंगे, उन्हें नये गेजेट्स और इक्विपमेंट्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, यह सारा विचार करके हमें रिपोर्ट दी जायेगी और उसके ऊपर अमल किया जाएगा । यह काम तुरंत होने वाला काम नहीं है, यह बहुत ही दक्षता से करने वाला काम है। हम यह काम जरूर करेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे । इतना मैं इस सदन में खड़ा होकर आपको बताना चाहता हूं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उन भाइयों के लिए क्या किया है।â€¦ (व्यवधान) हमारा दृटिकोण क्या है। सैनिक दल को उपयोग करने की हमारी नीति क्या है, उसे मैं बताना चाहता हूं। आज हम आतंकवाद से लड़ने के लिए सैनिक शक्ति का ज्यादा उपयोग नहीं करते, लेकिन बहुत जगहों पर हमने कभी-कभी उनका उपयोग किया है। इसे हम कम करेंगे। हमारे सैनिक यह काम नहीं करेंगे, पुलिस फोर्स यह काम करेगी, हम ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे। अर्ध-सैनिक बल, जो केन्द्र सरकार के मातहत उनके साथ काम करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाएंगे। इसके लिए हम 209 नए बटालियन्स खड़े करने के बारे में विचार कर रहे हैं। 209 बटालियन्स का मतलब दो लाख 90 हजार, करीब-करीब इतनी संख्या पुलिस की बढ़ाएंगे। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे। उनके लिए नए प्रकार की ट्रेनिंग होगी। उन्हें सिर्फ पहाड़ और जंगल में जाकर लड़ना नहीं है या गोलियों का सामना ही नहीं करना है, यदि उन्हें ग्रेनेड का सामना करना पड़े, माइन्स का सामना करना पड़े तो वे क्या करेंगे, इस बारे में हम उनको ट्रेनिंग देंगे। उनको उसी प्रकार के हथियार देंगे। आतंकवादियों के हथियार हमारे लोगों से अच्छे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । अगर हमारी पुलिस का एक भाई बंदूक लेकर जा रहा है और आतंकवादी एके 47 लेकर आ रहा है तो उसकी तुलना नहीं हो सकती। हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे और इसमें बदलाव करेंगे।

जिस व्हीकल्स में वे लोग जाते हैं, वे भी उनको अलग प्रकार के देंगे। पुलिस वालों को आर्मर्ड व्हीकल्स देने की कोशिश रहेगी ताकि उनको जंगल में जाने पर या शहर में घूमने में डर नहीं लगे। शहर की लड़ाई और जंगल की लड़ाई बड़ी भयानक होती है। घर बैठकर लड़ाई कुछ करते हैं और रास्ते में रहकर कुछ और करते हैं। ऐसा जंगल में भी होता है। आर्मर्ड व्हीकल्स मिलने के बाद इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। इसके बाद हम उनके टेलीकम्युनीकेशन सिस्टम में बहुत मदद करने वाले हैं। देश में एक पोल-नेट क्रिएट करने जा रहे हैं। पोल-नेट का मतलब यहां का हर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस से जुड़ा रहेगा, वह ऑफिस कैपिटल से जुड़ा रहेगा और कैपिटल में पुलिस का ऑफिस देश से जुड़ा रहेगा और जो मालूमात एक क्षण में एक जगह से जहां पहुंचाने हैं, वहां पहुंचाए जाने का इंतजाम होगा। इसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। इसके लिए हमने करीब-करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा कर लिया है। मैं ऐक्ज़ैक्ट फिगर्स नहीं दे रहा हूं, यह 3,700 करोड़ रुपये के करीब है।

हम सिर्फ अपने पैरा-मिलिट्री फोर्सेज़ पर पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है, हम स्टेट पुलिस को भी पैसा दे रहे हैं। वह आंकड़ा बढ़कर हर साल के लिए 1700 करोड़ रुपये तक आया है और अगर ज्यादा की जरूरत हुई तो वह भी बढ़ा देंगे। स्टेट्स पुलिस की अब और बटालियन खड़ी करने का इंतजाम करें ताकि उनकी संख्या ज्यादा हो। स्टेट पुलिस के पास ट्रेनिंग सैंटर्स हैं, उनको भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। केन्द्र के ट्रेनिंग सैंटर्स को भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम प्र ान्तों में ट्रेनिंग देंगे, देश के स्तर पर देंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों में भेजकर भी देंगे। इस प्रकार हम पुलिस फोर्सेज़ की माडर्नाइजेशन का काम करने जा रहे हैं। उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। आतंकवाद का मुकाबला करने में तोप, हवाई जहाज, फ्रिगेट्स या सबमैरिन का उपयोग होता है, मगर हर जगह, हर वक्त नहीं होता है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अगर ऐसे हथियारों का उपयोग किया जाये तो मक्खी को मारने के लिए एक हैमर का उपयोग किये जैसा हो जाता है। मक्खी तो मरती नहीं है लेकिन हैमर पर असर पड़ता है। इसके लिए सबसे जरूरी बात इंटेलीजैंस की है। इंटेलीजैंस मशीनरी ऐसी होना चाहिए जिसमें देरी न हो। जहां से मैसेज निकलता है, वहां से निकलने के बाद, जहां उसका उपयोग करना है वहां पहुंचने तक देरी न हो। इंटेलीजैंस मशीनरी को हमें यहां स्ट्रांग करना है। मिलिटरी इंटेलीजैंस, पुलिस इंटेलीजैंस को हमें नैशनल लैवल पर स्ट्रांग करना है। स्टेट की इंटेलीजैंस को भी हमें स्ट्रांग करना है। हमें केवल इंटेलीजैंस कलैक्ट करने का ही काम नहीं करना है, इंटेलीजैंस ऐनोलाइस करने का भी हमें काम करना है। इंटेलीजैंस ऐनोलाइस करने का काम ही हमें नहीं करना है, जहां पर उसका उपयोग होगा, वहां तक पहुंचाने के लिए भी काम करना है। यह काम बड़ा पेचीदा है, बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है और उसकी गहराई में जाकर हमें देखना होगा। इसमें काम करने वाले लोगों के बारे में मै कहना चाहता हूं कि वे भी अपनी जान की जोखिम लेकर काम करते हैं। काम करते-करते वे नट हो जाते हैं मगर उनका नाम किसी को मालूम नहीं होता है कि वे नट हुए हैं। हम उसके प्रति आदर की भावना भी प्रकट नहीं कर सकते, सैल्यूट भी नहीं कर सकते कि उन्होंने जान दी है। ये ऐसे भाई हैं जिनके कारण आपको और हमें नींद अच्छी आती है, आपका और हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। आपके हाथ पैर और हमारे हाथ पैर और हमारी हमारी जान की सुरक्षा होती है। वे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए घूमते हैं, रात और दिन घूमते हैं। जब हम सोते हैं तो वे जागते हैं। इसलिए हम सो सकते हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे यहां पर तैयारी हो रही है।

एक बात और है कि केन्द्र के स्तर पर क्या किया जा रहा है ? एक बात बड़े अच्छे ढंग से उठाई गयी। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर यहां चर्चा होनी चाहिए। कुछ भाइयों ने यहां कहा कि कभी कभी यहां से होम मिनिस्टर साहब कह देते हैं कि यह काम प्रांत की सरकार का है, हमारा काम नहीं है। हमने कभी भी नही कहा कि यह काम प्रांत की सरकार का है, हमारा नहीं है। हमने इसे गलती से भी नहीं कहा कि यह प्रांत सरकार का काम है, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। हम इसे कहेंगे भी नहीं कि प्राथमिकता से यह काम प्रांत की सरकार को करना है। इस में केन्द्र सरकार को काम देना है। बड़े-अजीब-अजीब अनुभव आते हैं, मैं आपको वह बताना चाहूंगा। माफ कीजिए, मैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने के लिए नही कह रहा हूं। हमारी जो समझ में आया, वह मैं कह रहा हूं। मणिपुर में झगड़ा हुआ तो आप हमे कहेंगे कि आप वहां पर क्यों नहीं गये ? किसी एक प्रांत में झगड़ा हुआ और हमारे मंत्री वहा जाकर पूछें--कि क्या हुआ तो कहा गया कि तुम कौन होते हो -- ये दोनों बातें गलत हैं। वहां पूरी तरह से जाना भी सही नही और पूरी तरह से नहीं जाना भी सही नहीं है। इसमें कोई रास्ता निकालना है इसलिए हमारा दृटिकोण यह रहा है कि जहां तक कानून और सुरक्षा का प्रश्न है, पहले प्रांत की सरकार को, प्रांत की पुलिस को काम करना है। अगर यहां से होम मिनिस्टर आर्डर दे दें तो हमारे डीआईजी वहां पहुंचकर इन्वेस्टीगेशन शुरू करें तो बात गलत होगी। मगर उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद की जरूरत है तो हम वहां जरूर जायेंगे। हमने बार-बार कहा है कि आप पुकारेंगे तो हम आयेंगे। आप पुकारो, हम आयेंगे। यह भी छोड़िये, अगर हमको लगा कि हमारा वहां जाना जरूरी है तो हम वहां जाकर पूछेंगे कि क्या हो रहा है ? अगर आपने बोला कि आप आइये तो हम जायेंगे और आपने नहीं कहा कि हमको आने की जरूरत नहीं है लेकिन हमको लगेगा कि वहां की परिस्थिति अच्छी नहीं है, वह बिगड़ती जा रही है और हजारों लोगों की जान माल को उससे धोखा हो सकता है, जैसे कुछ प्रांतों में हुआ, वहां हम कुछ दिन पहले कुछ नहीं कर सके, अगर वहां ऐसी परिस्थिति हुई तो हम वहां पहुंचेंगे और काम करके दिखायेंगे। मगर इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है ? इसे ध्यान में रखना चाहिए। लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन स्टेट लिस्ट में है लेकिन यह कंकरेंट लिस्ट में भी है। हम वहां जा सकते हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ? हम क्या करते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हर साल हमारे जो स्पेशल सैक्रेट्री हैं, उनके अधिपत्य में एक कमेटी बनी है।

जिसको हम कोआर्डिनेटिंग टॉस्क फोर्स कहते हैं। पूरे डीआईजी वगैरह सबको बुलाकर ये जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, उसके संबंध में वे विचार करते हैं। दूसरे होम सैक्रेटरी के लैवल पर कोआर्डिनेशन कमेटी बनी है, वह भी विचार करती है और होम मिनिस्टर के लैवल पर साल में मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के साथ भी मीटिंग्स होती हैं। उसमें हम तय करते हैं कि हम सब लोगों को मिलकर किस प्रकार का काम करना है और जो भी तय होता है, उसके ऊपर हम अमल करते हैं कि अगर किसी प्रांत को ज्यादा पुलिस फोर्स की आवश्यकता है तो हम देते हैं। अगर किसी प्रांत को ज्यादा पैसे की आवश्यकता है तो हम देते हैं।

**15.36 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)**

हमारे पास जो इंटेलीजेंस है, वह हम देते हैं। हमारे पास जो हथियार हैं, वह हम देते हैं। हमारे पास जो दूसरे ईक्विपमेंट्स हैं, वह भी हम देते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि यह तुम्हारा ही काम है और इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। आप ही देखें और हम इसे बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर कोई पूछता है कि यह केस किसी के ऊपर चल रहा है तो आप क्यों नहीं इसमें इंटरफेअर कर रहे हैं और पांच-छह लोगों की हत्या हो गई और हम पूछने के लिए गए तो वे लोग कहते हैं कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। दोनों चीजें भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति यहां पर बनी हुई है।

अंत में, यह जो सुरक्षा का काम है, हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनी हुई है, इसमें इस पर विचार होता है और जो भी विचार होता है, वह होम मिनिस्टर पर लागू होता है, वह सबको लागू होता है।

मणिपुर और कश्मीर में जो हुआ, आज आतंकवादी प्रांतों में जो कुछ हो रहा है, वह अकेले के विचार का फल नहीं है। वह सारे लोगों के विचार का फल है। वह जो अच्छाई निकल कर आ रही है, उसके हकदार सारे लोग हैं, सारे कुलीग हैं जिन्होंने हमें राय दी है। यह मैं यहां खुलेआम कहना चाहूंगा। मगर इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहिए कि अच्छा काम हुआ तो इनकी वजह से और बुरा काम हुआ तो इनकी वजह से हुआ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए । क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी सी खटास पैदा हो जाती है।

अब प्रश्न है कि हम पड़ौसी राट्रों के साथ क्या कर रहे हैं। अब यहां पर जो विरोधी पक्ष के जो हमारे साथी हैं, मल्होत्रा जी यहां पर नहीं हैं और मैंने कहा था, â€¦ (व्यवधान)मीटिंग हो रही है। उसमें मैं उनको दोा नहीं दे रहा हूं। स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई है। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो पड़ौसी राट्र हैं, उसका असर भी हमारे ऊपर हो रहा है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर में हमारे पड़ौसी राट्र हैं तथा पड़ौसी राट्र हमारे पूर्व और उत्तर दोनों में हैं। बंग्लादेश के जो बॉर्डर है, वह सबसे लम्बा बॉर्डर है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि करीब-करीब 4000 कि.मी. से ज्यादा बॉर्डर है और वहां पर भी कुछ हो रहा है तो हम क्या करने जा रहे हैं। एक बात यह है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का जो बॉर्डर हैं, उसके अंदर हमने फेंस लगाने का काम करीब-करीब पूरा कर दिया है। 20-25 कि.मी. का काम बाकी रह गया है। वह काम बड़े अच्छे ढंग से हुआ है। खासकर जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर का जो काम है, जो आर्मी के लोगों ने किया है, बहुत अच्छे ढंग से किया है। दूसरा काम भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। मगर बंग्लादेश के बॉर्डर का काम बहुत तेजी से नहीं चल रहा है। डेढ़ हजार कि.मी. का काम तो हुआ है मगर बाकी काम नहीं हुआ है, उसका कारण यह है कि वहां पर जंगल और दरिया बहुत हैं। जो काम जिन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, उन एजेंसियों की उतनी पूरी तैयारी नहीं है। खासकर जो स्टेट की एजेंसी को काम करने के लिए कहा है, स्टेट की एजेंसी ने दूसरी एजेंसी को काम करने के लिए दे दिया है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह काम भी पूरी तरह से हो जाए।

म्यंमार और हमारे हिन्दुस्तान में तो कोई बॉर्डर लगाने का प्रश्न नहीं है। हिन्दुस्तान, नेपाल और भूटान, यहां पर भी बॉर्डर लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। वहां पर पैट्रोलिंग की मदद से इंफिल्ट्रेशन को रोकना होगा । एक इंस्टीट्यूशनेलाइज काम हो गया है। एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। होम सैक्रेटरी के लैवल पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के होम सैक्रेटरी मिलकर इसकी चर्चा करते हैं। बंग्लादेश के होम सैक्रेटरी हिन्दुस्तान और बंग्लादेश के मिलकर करते हैं और म्यंमार के होम सैक्रेटरी भी उसके साथ चर्चा करते हैं। सिर्फ होम सैक्रेटरी के लैवल पर चर्चा होती है, ऐसा नहीं है। भूटान और नेपाल में भी चर्चा होती है। कभी होम सैक्रेटरी, कभी डिफेंस सैक्रेटरी और कभी फॉरेन सैक्रेटरी, ये सब इन लोगों के साथ बात करते हैं।

मंत्री स्तर पर भी बातें होती है। उसके बाद आगे चलकर प्रधान मंत्री स्तर पर भी बातें होगी। पाकिस्तान के अध्यक्ष और भारत के प्रधान मंत्री में भी बात हुई है। देश में और देश के बाहर भी बात हुई हैं। इसके अलावा सार्क में या अन्य किसी मौकों पर भी बात होती है। यह बात बाई लैटरल हो सकती है, मल्टी लैटरल नहीं। हम लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से बात कर रहे हैं। म्यांमार के अध्यक्ष जी को हमने यहां बुलाया था। वह यहां आए थे और उन्होंने कहा कि आपने जो चिंता व्यक्त की है, उसे उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आतंकवाद न हिन्दुस्तान में हो, या म्यांमार में हो, उसके लिए जो वह कर सकते हैं, करेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने भी यही कहा है। भूटान के नरेश ने तो हमारे देश की बहुत मदद की है। उसका जितना आभार व्यक्त करें, वह कम है। नेपाल के लोग भी मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, वह हमने उनसे कहा है। वे कहते हैं कि हम जरूर मदद करेंगे, मगर आप जो कह रहे हैं, वह पूरा सही है या नहीं, हम इसे देखेंगे। हमने उन्हें बताया है कि आपके वहां ऐसा है। यदि भारत में आतंकवाद पनपा तो यहां के लोगों को नुकसान होगा और यदि बांग्लादेश में पनपा तो उनको नुकसान होगा। हमें आशा है कि इस बात को वे भी मानेंगे और इस बारे में काम करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई घटना हो, उसके लिए पूरी सरकार को दोा देते रहें, यह ठीक नहीं है। हमारे जो अच्छे सम्बन्ध उनसे हैं, वे बिगड़ जाएंगे। और भी कई बातें हैं, लेकिन परिस्थितियां आज ऐसी नहीं रहीं कि एक देश दूसरे देश के साथ काम करते हुए ऐसा नहीं कर सकता। श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालद्वीप हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो या नेपाल हो। यहां की सरकारों और लोगों ने कहा है कि हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद भी हमें मिल सके तो लेंगे। यह हमारा प्रयास है।

कहीं पर अच्छा काम हुआ है, उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, मैं यह भी मानता हूं। हमारे देश में अगर ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं तो हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे और आतंकवादी हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरे देश हैं, वे भी कर सकते हैं। लेकिन हम वहां जाकर ऐसा नहीं कर सकते। वहां की सरकार की मदद से कर सकते हैं, और कर रहे हैं।

एक बात पोटा के बारे में कही गई। यह कहा गया कि उसको रिपील करने से, हटाने से अंतर्राट्रीय क्षेत्र में गलत संदेश गया है। उसको हटाकर बेकार कर दिया गया है। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस बात को हमने भी ध्यान में रखा था। हमने इसको भूलकर काम नहीं किया। हमने पोटा रिपील जरूर किया है, लेकिन उसकी जगह हमने अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट भी पास किया है। उस सम्बन्ध में हम जो संशोधन यहां लाए थे, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। संयुक्त राट्र में जो रिजोल्यूशन आया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए था। उसके मुताबिक भारत को काम करने के लिए कानून होना चाहिए, इसका ध्यान रखा गया है। इसलिए हमने यह एक्ट बनाया है। हमने इस कानून में बताया है कि संयुक्त राट्र में सुरक्षा परिाद जिस संस्था को आतंकवादी संस्था घोाित कर देगी, उसको हम भी अपनी लिस्ट में आतंकवादी संस्था मान लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। यही हमने किया है।

संयुक्त राट्र में यह बात भी आई कि आतंकवाद के लिए पैसा बैंक से, हवाले से या अन्य दूसरे माध्यमों से देश में आता है। हम इस तरह का जो पैसा बाहर से आतंक वाद को बढ़ाने के लिए अपने देश में आता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह बैंकों के माध्यम से आ रहा है, हवाले के माध्यम से आ रहा है, गन रनिंग या नारकोटिक्स के माध्यम से आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इस बारे में पहले से प्रोविजंस कर रखे हैं। कृपया, ऐसा न कहें, जिससे बाहर के लोगों को लगे कि भारत जहां आतंकवाद की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, वह ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए हमने जो संशोधन किए हैं, उसमें प्रोविजंस किए हैं।

दूसरी बात जो दुनिया में चल रही है वह यह है कि आतंकवाद ऐसी परिस्थिति है जिससे हमें डरना चाहिए। भविय में शायद लडाइयां नहीं होंगी लेकिन आतंकवाद चलता रहेगा। आतंकवादी नारकोटिक्स का, गनरनिंग का पैसा एक देश से दूसरे देश में भेजकर यह काम कर रहे हैं। इसको रोकना चाहिए। करीब 18 देशों के साथ एक दूसरे को कानूनी सहायता देने के ठैराव हुए हैं। इंवैस्टीगेशन के लिए, कैसेज चलाने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए 18 देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं तथा और भी देशों के साथ एग्रीमेंट करने का काम चल रहा है। करीब 30 देशों के साथ हमने प्रत्यार्पण संधि पर साइन किये हैं और उनसे कहा है कि आपके पास जो गुनहगार होंगे, उनको हमारे देश में प्रत्यार्पण करके भेजेंगे। इसी तरह से अंतर्राट्रीय क्षेत्र में भी यह कार्य किया जा रहा है। समुद्र और आकाश में भी आतंकवाद हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आतंकवादियों के हाथ में रेडियोलॉजिकल, बायोलोजिकल हथियार आ जाएं तो उनका मुकाबला करने के बारे में भी युनाइटेड नेशन्स के लोग, दूसरे लोग तथा हम भी विचार कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, यह उसका बहुत थोड़ा हिस्सा है और जो कुछ भी हमको करना चाहिए, उसका भी बहुत थोड़ा हिस्सा है। आपको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अकेला आदमी, मंत्रालय या केवल सरकार ही इसे कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। सब लोगों को यह काम करना है। इस बारे में जो चर्चा हुई है वह पक्ष अभिनिवेश से चर्चा नहीं हुई है बल्कि पक्ष अभिनिवेश को बाजू में रखकर चर्चा हुई है और सही बातों को आपने बताने की कोशिश की है और उन सभी बातों का हम आदर करते हैं और उनको लेकर के हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहे तो आंतरिक सुरक्षा, राट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और अंतर्राट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकेंगे। हमें उम्मीद है कि जिस दृटि से आपने चर्चा की, उसी दृटि से आप हमें आगे भी मदद करेंगे।

**श्री मोहन सिंह (देवरिया) :** सभापति जी, आप तो कृपालू हैं, नियम तो नहीं है लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

**सभापति महोदय :** रिप्लाई हो गया है प्रश्न पूछने का कोई नियम नहीं है।

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I have to seek a clarification. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I am not allowing you.

...(*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: May I make a request to you? Ultimately, the decision has to be taken by you and I shall abide by whatever decision you take. But going by the manner and the way in which this discussion has taken place, you should allow hon. Members to ask one or two questions so that I can answer them.

**श्री मोहन सिंह :** सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत ढंग से अपनी बात को कहा है। लेकिन एक बात मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। बर्मा और भूटान ने जिस तरह से मदद की है वह विश्वसनीय बात है और इसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन नेपाल के बारे में परिस्थिति दूसरी है। आज नेपाल खुद ही नक्सलवादी आतंकवाद से इस तरह घिर गया है कि वहां के लोकतंत्र की हिफाज़त बहुत मुश्किल बात हो रही है और इस बात का मुकाबला करने के लिए केवल अमरीका के जिम्मे, वहां की सुरक्षा छोड़ दी जाए, यह भारत की सुरक्षा की दृटि से अनुकूल बात नहीं होगी। जिस तरह से अमरीका ने यूक्रेन में अस्थिरता पैदा करके रूस को परेशान करने की कोशिश की है उसी तरह से नेपाल में भी अस्थिरता पैदा करके वह हमें भी परेशान कर सकता है। खबरें इस बात की भी हैं कि जिस नक्सलवाद ने नेपाल में अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं, वह उत्तर प्रदेश और बिहार के भी नक्सलवाद को प्रशिक्षित कर रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नेपाल की सरकार को, वहां के नक्सलवाद को और वहां के द्वारा प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश और बिहार का जो नक्सलवाद है, उसको समाप्त करने की भारत सरकार की रणनीति क्या होगी?

SHRI TAPIR GAO : सभापति महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि we are not opposing the talks. The conclusion of the talks is agreement or a Accord. You have mentioned about Mizoram. The Government of India has deceived the people of Mizoram with an Accord. There was the Nagaland Haider Accord in 1960; in 1970 there was an agreement with Nagaland; in 1975 there was another agreement with Nagaland; then there was the Assam Accord; then there was the Bodoland Accord. इस एकॉर्ड में डेवलपमैंट एक्टिविटीज का उल्लेख था। I would like to know whether you are going to look into all these Accords to maintain peace and development in the North-East.

**श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) :** सभापति जी, आंतरिक सुरक्षा देश के लिए एक चिन्ता का विाय है विशेा कर जो विदेशी घुसपैठिए हैं जो अलग-अलग देशों से और खास तौर पर बांग्लादेश से हमारे देश में घुसपैठ करके आए हैं,, उनका अधिकतर संबंध आपराधिक तत्वों से होता है। देश के किसी भी क्षेत्र में जहां बड़े-बड़े अपराध होते हैं वे, उनमें लिप्त रहते हैं। यदि उनकी जांच की जाए तो अधिकतर बांग्लादेशी घुसपैठिए आपराधिक तत्वों में लिप्त पाए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विशेा सीमा की ओर आकृट करना चाहूंगा। असम के सिल्चर डिस्ट्रिक्ट के करीमगंज क्षेत्र में जो एक तरफ हिन्दुस्तान में है और आधा बांग्लादेश में है, अधिकतर बांग्लादेशी उसी रूट से आते हैं। वे करीमगंज से सिल्चर होते हुए असम से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से सारे देश में बड़ी संख्या में फैल गए हैं। इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या आप करीमगंज और सिल्चर क्षेत्र में किसी विशेा योजना का इंतजाम करेंगे? क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई इंतजाम किया है?

**चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) :** सभापति महोदय, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पुलिस के बारे में बहुत कुछ कहा है। हमारी जम्मू-कश्मीर रिसायत है। उन्होंने बीडीसी के बारे में यहां कुछ नहीं कहा। जब वे लोग मारे जाते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता क्योंकि वे कॉन्स्टेबल नहीं हैं। आपने वहां एसपीओ और बीडीसी लगाए हैं। सरकार उनके लिए क्या इंतजाम कर रही है? वहां पॉलिटिकल लोगों पर भी अटैक हो रहे हैं। इसे रोकने का सरकार ने क्या इंतजाम किया है? मैंने इस बारे में अपना भी उल्लेख किया था।

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) :** मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खास तौर पर झारखंड, बिहार और उत्तरप्रदेश की सीमा में जो उग्रवादी संगठन और नक्सलवादी संगठन काम कर रहे हैं और कुछ संगठन जो जातीय संगठन हैं जिन्हें बड़े-बड़े पदाधिकारियों और सरकारी लोगों का कहीं-कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्या उन संगठनों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से बात की है? भारत सरकार उन उग्रवादी संगठनों से लड़ने के लिए कौन सी कार्र वाई करने जा रही है?

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) :** मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से छोटे से नुक्ते की वजाहत चाहता हूं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत सारी बातों की यहां सदन में वजाहत करके सरकार की नीयत का मुजाहिरा किया जिस के लिए हम शुक्रगुजार हैं।

लेकिन कल हमारे एक साथी श्री लाल सिंह ने यहां तकरीर में कहा कि उनकी राय है कि रियासते जम्मू-कश्मीर में सो-काल्ड ट्राइफर्केशन पर अमल किया जाए। जम्मू को अलग रियासत बनाया जाए, लद्दाख अंतरिम खुद-मुख्तयारी नहीं चाहता है और कश्मीर को अंतरिम खुद-मुख्तयारी दें या क्या करें। में ऑनरेबल होम मिनिस्टर से इसकी वजाहत चाहता हूं। मुझे मालूम है कि कांग्रेस की मंशा ऐसी नहीं है। लेकिन इस बात की वजाहत इस सदन में होनी चाहिए कि सो-काल्ड ट्राइफर्केशन के जो ख्यालात हैं या इस किस्म के जो जज्बात हैं, इसके बारे मे सरकार की क्या राय है।

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) :** सभापति महोदय, लिपुले खबर भारत तिब्बत बॉर्डर और भारत नेपाल बॉर्डर से जो क्षेत्र लगे हैं, इसमें काली नदी पर चूंकि एस.एस.बी. की तैनाती है, नेपाल बॉर्डर पर पिथौरागढ़ और चंपावत जिले स्थित हैं, इन जिलों में तैनात एस.एस.बी. की बहुत समय से यह मांग रही है और वे इस बारे में पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि उन्हें मोटरबोट की सुविधा दी जाए। वहां का पहाड़ी एरिया इतना खतरनाक है कि उसमें गश्त नहीं हो पाती है। तार के जरिये या किसी अन्य तरीके से माओवादी इधर आयेंगे, यह खतरा वहां हमेशा बना रहता है। इसलिए हम यह मांग माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहते हैं कि वहां के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पर तैनात एस.एस.बी. को तत्काल मोटरबोट की सुविधा प्रदान की जाए।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I would like to know one thing particularly from the hon. Minister of Home Affairs. In the Indo-Bangladesh border areas, there are lot of complaints against the behaviour of the BSF people. Is the hon. Minister aware of these complaints? The agriculturists and the farmers are also facing problems whose land is used for fencing the border areas.

My next point is − what about the enclaves. The problem of enclaves is there. I want to know whether the Government is willing to have a dialogue with the Government of Bangladesh to exchange the enclaves or not.

**श्री राम कृपाल यादव (पटना) :** सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने बड़े विस्तार से और सार्थक ढंग से सरकार की नीतियों को सदन मे रखने का काम किया है। माननीय सदस्यों ने हर पहलू पर अपनी बातें सदन में रखीं, उन पर भी गृह मंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि गोली या बंदूक के माध्यम से उग्रवाद या नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता और यह सरकार की भी नीति नहीं है। हम सख्ती भी बरतेंगे, मगर उन्हें प्यार भी करेंगे। हम उनका ध्यान खासकर अपने क्षेत्र बिहार और झारखंड की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे बिहार और झारखंड की वार्ों से जो स्थिति रही है, वह किसी से छिपी नहीं है। वहां कई जिलों में लगातार नक्सलवादियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण स्थिति बहुत खराब हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि बिहार और झारखंड में पिछले दिनों जो नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, उनकी रोकथाम के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आपकी जो नीति है, उस नीति के तहत आप कौन से कदम उठायेंगे, ताकि बिहार, झारखंड और साथ में उत्तर प्रदेश के इलाकों में शांति और अमन-चैन कायम हो सके। वहां पर लोगों का जीना दूभर हो गया है। बिहार से आने वाले कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी भावनाएं रखी हैं। हम और वे सब भी जानना चाहते हैं कि आप ऐसे कौन से कदम उठाने जा रहे हैं जिनसे वहां अमन-चैन कायम हो सके और नक्सलवाद में कमी आ सके।

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Sir, our nation is aware of the riskiest professional work that is being done by our journalistic community as far as nationalism or internal security is concerned. Like the Armed Forces, it is always our journalists, who are risking their lives to do their duty. Is there any particular measure taken to protect their lives whether it is in Jammu and Kashmir or in the naxalite operational areas in Andhra Pradesh? In such cases, it is the journalists who are reaching first; in today's world it is the media people, particularly the visual media as well as the print media who are reaching the place first. Many times our intelligence people failed to receive the messages, but the media people were always receiving. Like in the case of Veerappan or during Kargil War, etc. it is the media people who have done wonderful service. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You have to ask only a question.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, please give me a minute. Regarding the Armed Forces, particularly when it is the case of Manipur, where rape and other things occurred - it is the allegation - it is very painful to me as a woman parliamentarian. I would like to consider this as a social problem. Our Armed Forces personnel are working under mental pressure these days. They are living away from their families and loving ones.

**16.00 hrs.**

Still, they are rendering their heroic and courageous profession and guarding the Siachen like highest-altitude post to guard the motherland. I feel that we must take some special measures to deal with their mental stress, and also to recognise the services of the journalistic community.

**श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) :** मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो उग्रवादी फाल्स सर्टिफिकेट और आइडैन्टिटी देकर फाल्स सरैन्डर कर रहे हैं, और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो नक्सलवादी कह रहे हैं कि बातचीत भी करेंगे और वैपन लेकर भी प्र ादर्शन करेंगे, उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? बहुत सारे प्रदर्शन खुलेआम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुए हैं। आंध्र प्रदेश में जिस दिन से चीफ मिनिस्टर ने लोगों की कॉनफ्रैन्स की है, उसके बाद से ही नक्सलवादी खुलकर सामने आ रहे हैं और अस्त्र लेकर शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में केन्द्र सरकार की क्या नीति है, वह भी स्पट रूप से बताएं।

SHRI MADHUSUDAN REDDY (ADILABAD): Sir, I am congratulating the Government of India for this beautiful debate. I would like to ask the hon. Minister only one point. On 16th of this month, the ceasefire between the Maoists and the Government of Andhra Pradesh is ending. I want to know whether the Government of India is sending any letter or information to the Government of Andhra Pradesh to extend the ceasefire beyond 16th. Thank you. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, may I suggest one thing? The replies can be sent in writing to the hon. Members. We cannot re-open another debate. ...(*Interruptions*)

**श्री बृजभूषण शरण सिंह (बलरामपुर) :** अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नेपाल से हमारे ऐसे संबंध हैं कि वहां पर बाड़ लगाना संभव नहीं है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी अभी नेपाल की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं सीमा पर लगे हुए क्षेत्र से चुनकर आता हूँ। अभी पिछले दिनों तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें यह बात बात उजागर हुई है कि चाहे देश के अंदर आर.डी.एक्स पकड़ा गया हो या हथियार पकड़े गए हों, सब नेपाल के रास्ते से हमारे देश में आ रहे

हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वहां विशेा निगरानी की व्यवस्था करेंगे जिससे नेपाल की खुली सीमा से हमारे देश में हथियार या आर.डी.एक्स न आ सकें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI E. AHAMED): Sir, how can we have two discussions? ...(*Interruptions*)

**सभापति महोदय :** ऐसा कोई प्रिसिडैन्स नहीं है। स्पेशल केस में माननीय मंत्री जी की रिक्वैस्ट पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) :** नेपाल के बार्डर के बारे में सवाल हो सकते हैं। â€¦ (व्यवधान)

**सभापति महोदय :** इस पर कोई डिसकशन नहीं हो सकता। ऐसा कोई प्रिसिडैन्स नहीं है कि इस पर डिसकशन हो सकता है। रिप्लाई के बाद कोई डिसकशन नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

**श्री सुनील कुमार महतो (जमशेदपुर) :** सभापति जी, झारखंड की जो स्थिति है, अलग झारखंड राज्य की लड़ाई हम लोग 34 साल लड़े। वहां पहले चार जिलों को ही उग्रवाद प्रभावित सुनते थे, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पूरे 22 जिले उग्रवाद प्रभावित हो चुके हैं। 200 पुलिस कर्मी वहां मारे गए हैं, 38 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं और 58 उग्रवादी मारे गए हैं। â€¦ (व्यवधान)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, 20 terrorists of India have been identified as number one enemy of India, and they have fled the country. I would like to know from the hon. Minister what steps the Government is taking to get them extradited from the various countries where they are located. ...(*Interruptions*)

**श्री सुनील कुमार महतो :** मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। â€¦ (व्यवधान)

**सभापति महोदय :** आपकी बात रिकार्ड पर आ गई है। आप बैठ जाइए। Now, hon. Minister will speak.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Except the hon. Minister, nothing will go on record. Please take your seat.

*(Interruptions)* *

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, we have read in the newspapers that Al-Qaida is trying to intensify its activities in India. What does the Government intend to do to meet this challenge? Secondly, 20 terrorists, who are number one enemies, and who were involved in the bomb-blast case in Mumbai have escaped from India. What steps do the Government intend to take to extradite them?

**श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :** सभापति जी, â€¦ (व्यवधान)

**सभापति महोदय :** रामदास आठवले जी, जो प्रश्न किए हैं, उनके जवाब तो मंत्री जी से सुन लीजिए।

**श्री रामदास आठवले :** सभापति जी, मेरा एक सवाल यह है कि स्मृति रानी ने गुजरात सरकार को बर्खास्त करने की बात की थी, उनके ऊपर दबाव डाला गया है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा ? â€¦ (व्यवधान)

**कुछ माननीय सदस्य :** यह छोटी रानी कौन है ? â€¦ (व्यवधान)

*Not Recorded.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the first question relates to Nepal. I do not want to say anything against any Government as such, but India all the time is talking to the Government of Nepal at the diplomatic level, at the political level, etc., and this matter will be properly handled. I need not say anything more than this. Probably, the External Affairs Ministry is better placed to reply to this question.

The second question relates to the Bodo Accord, and other accords. I will assure the Members on the Floor of the House that the Government of India would endeavour to see that all Accords are implemented and acted upon. We will try to see that the Accords, which are not acted upon, are implemented and acted upon. We have already taken steps to do it.

Shri Geete spoke about organised crimes. We have a cell looking into the organised crimes, and action would be taken against those people who are involved in the organised crimes also.

Shri Lal Singh spoke about PDC, and others. I will discuss this matter with you, and whatever assistance can be given to these people will be given. There are some provisions made by us to give assistance to others. We would like to give assistance to these people also.

As far as Jharkhand, Bihar, Chattisgarh, and other States are concerned, the only point, which I would like to make, is that we are not saying it is the responsibility of these States alone. The Government of India is willing to share the responsibility of controlling, and containing the extremist activities in these States also. My request to the hon. Members, and to the Governments of these States is that they should discuss this matter with us and let us know what kind of assistance they want from us. We will extend that assistance to Bihar, Jharkhand, Chattisgarh, Uttar Pradesh, or any other State for that matter.

As far as the question of trifurcation is concerned, I do not want to say anything more than this that the policy of the Government of India has been explained to the people at large, and at many forums, and that policy continues. We would like to see the States prospering, and doing well.

There was a question whether we would give motorboats on Kalinadi. Yes, we have plans, and we are using motorboats and other kinds of vehicles, which can be used in lakes and ponds. We would certainly examine this issue, and if a motorboat has to be given, we will give it.

As far as the behaviour of BSP is concerned, I am sorry that sometimes these things do happen, and sometimes because of these things the good work done, and the sacrifices made by these brave brothers and sisters of ours are also forgotten. If something of this nature has happened, we will certainly look into it and we will ask the officials to take proper action and see that these things are not repeated.

About the 'Enclaves' and other things, our Home Secretary had gone to Bangladesh. He did have a discussion with the Home Secretary of Bangladesh and the political leaders about these 'Enclaves' and other things. We are looking into these matters.

There are some journalists whose life is in danger; some journalists have been attacked in the past, and they lost their lives. It would be our responsibility and duty to provide protection and security to the journalists also and we will not fail in this.

As far as the people who are surrendering their arms are concerned, we have a policy to see that they are given employment. Now, those who join the naxalite activities or the extremist activities, come back and surrender, they get the jobs. That is being done to see that they do not go back to the groups with which they were carrying on naxalite or extremist activities. If this is the policy, why should there be any difficulty in giving jobs to those people who have not joined the naxalite groups? If they come to us, we will certainly help them. The only thing is that we would ask them not to come through a wrong route. We would advise them to follow the direct route, and we will give them the jobs.

As somebody said, "What will you do, if '*baatcheet',' hatyar'* and all these things fail? I have spoken at a great length on that topic. Therefore, I need not speak on that. ...(*Interruptions*)

Well, if anybody asks for he security, we will provide security, whether the person comes directly or through the hon. Members. ...(*Interruptions*)

MD. SALIM (CALCUTTA − NORTH EAST): She may not ask for security because she only read the statement that was handed over to her.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I think, there are no other points which I need to reply to. Thank you....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Ilyas Azmi, please take your seat.

_____